कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1490 /कानपुर नगर/22879/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 16 , 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषय : कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकारण द्वारा जी0टी0 रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्यानपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–2763/14–1, दिनांक 12.01.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में कल्यानपुर से बिठूर तक पूर्ण संरेखण चिन्हित नही किया गया हैं।

2– प्रस्तावित वनभूमि की संलग्न गणना में 0.075 हे0 संरक्षित वनभूमि सेतु निर्माण में प्रयोग हो रही है, किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट में उक्त स्थल को स्पष्ट नहीं किया गया है।

3– प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण 7 स्थलों पर किया जाना है। किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट में उक्त 7 स्थलों को प्रदर्शित नहीं किया गया है।

4– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता निर्धारित प्रारूप में नहीं है।

5– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा करने की वचनबद्धता में भविष्य में दरों में बृद्धि होने पर बढ़ी हुयी धनराशि जमा करने का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है।

6– प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 6.011 हे0 है किन्तु एन0पी0वी0 की गणना 6.02 क्षेत्रफल के आधार पर की गयी है, जो त्रुटिपूर्ण है।

7– प्रस्तावित वनभूमि के स्वामित्व वाले विभाग (NHAI/PWD) की अनापत्ति संलग्न नहीं है।

8– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 6.011 हे0 के स्थान पर 6.01 हे0 अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

9– मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

10– चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष संरक्षित वनभूमि पर स्थान रिक्तता के अनुसार दो से तीन पंक्ति में रोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

11– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल द्वारा ऑनलाइन पार्ट–3 पर संस्तुति अंकित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं की गयी है।

12– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्पष्ट धनराशि अंकित नहीं है।

13– ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information details में अपलोड अभिलेख का विवरण अंकित नहीं है।

14– उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठं संख्या ठीक करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव को इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1490 / ,उक्तदिनांक

1– प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र मुख्य वन संरक्षक, कानपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि श्री एम00के0मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता (1) कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, कानपुर नगर को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।